

ITEMS NOT TO CARRY

Prohibition on Carriage of Hazardous and Offensive Materials:

It is strictly prohibited for any individual to transport or allow the transportation of the subsequent hazardous materials on the metro railway:

- (a) Explosive substances posing a risk of explosion or fire or both;
- (b) Compressed, liquefied, or pressurised gases;
- (c) Petroleum and other highly flammable liquids;
- (d) Flammable solids;
- (e) Oxidizing substances;
- (f) Toxic or poisonous substances;
- (g) Corrosive acids and other corrosive materials;
- (h) Radioactive substances;
- (i) Weapons, arms, and ammunitions;
- (j) Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Enhanced Conventional Weapons that endanger passengers or property.

In addition, the transportation of the following offensive materials is strictly prohibited on the metro railway:

- (a) Blood, dried or coagulated, whether of human or animal origin;
- (b) Corpses;
- (c) Carcasses of deceased animals or birds;
- (d) Bones, excluding bleached and cleaned bones;
- (e) Human skeletons;
- (f) Parts of the human body;
- (g) Portable radio devices that pose a risk to radio communication and traffic control signalling networks.

Furthermore, live animals or birds are not permitted to be brought onto the metro railway, except for security personnel on duty who may bring sniffer dogs for security purposes.

प्रतिबंधित सामग्री

खतरनाक और आक्रामक सामग्री की ढुलाई पर प्रतिबंध:

मेट्रो रेलवे पर किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक सामग्री की ढुलाई करना अथवा उसकी ढुलाई की अनुमति देना सख्ती से निषिद्ध है :

- (क) विस्फोटक पदार्थ जो विस्फोट या आग या दोनों का खतरा पैदा करते हों;
- (ख) कंप्रेस्ड, तरलीकृत या प्रेशराइज़्ड गैसें;
- (ग) पेट्रोलियम और अन्य अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ;
- (घ) ज्वलनशील ठोस पदार्थ;
- (ङ) ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ;
- (च) विषाक्त या विषैले पदार्थ;
- (छ) संक्षारक अम्ल और अन्य संक्षारक सामग्री;
- (ज) रेडियोधर्मी पदार्थ;
- (झ) अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद;
- (ञ) रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, और उन्नत पारंपरिक हथियार जो यात्रियों या संपत्ति को खतरे में डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मेट्रो रेलवे पर निम्नलिखित आक्रामक सामग्रियों का परिवहन सख्ती से निषिद्ध है:

- (क) रक्त, सूखा या संकुल, चाहे वह मानव या पशु मूल का हो;
- (ख) लार्शे;
- (ग) मृत जानवरों या पक्षियों के शव;
- (घ) ब्लिच और साफ की हुई हड्डियों को छोड़कर हड्डियां;
- (ङ) मानव कंकाल;
- (च) मानव शरीर के अंग;
- (छ) पोर्टेबल रेडियो उपकरण जो रेडियो संचार और यातायात नियंत्रण सिग्नलिंग नेटवर्क के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

और भी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर जो सुरक्षा प्रयोजनों के लिए स्निफर डॉग ला सकते हैं, के अलावा, जीवित जानवरों या पक्षियों को मेट्रो रेलवे पर लाने की अनुमति नहीं है।